1	2	3	4	5
Tamil Nadu	81,134	77,781	60,649	40,881
Tripura	1,827	1,623	1,210	1,047
Uttar Pradesh	2,84,215	2,61,885	2,33,921	1,90,844
West Bengal	1,64,767	1,12,818	62,460	1,76,461
Dadra & N.H.	8,958	6,079	3,378	1,484
Delhi	722	374	437	..
Pondicherry	2,560	1,046	906	1,012
TOTAL	39,94,075	27,37,354	19,07,275	13,70,825

मत्स्य पालन विकास एजेन्सी कार्यक्रम पर राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद् का प्रतिवेदन

144. **श्री कुम्भा राम आर्य :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद् ने मत्स्य पालन विभाग एजेंसी कार्यक्रम के मूल्यांकन पर अपना प्रतिवेदन कब पेश किया था ;

(ख) प्रतिवेदन में की गई मुख्य मुख्य सिफारिशे क्या हैं ; और

(ग) सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) (क) राष्ट्रीय व्यावहारिक अर्थ अनुसंधान परिषद् ने "मछुआ विकास एजेन्सी कार्यक्रम के मूल्यांकन" से सम्बन्धित अपनी अंतिम रिपोर्ट नवम्बर, 1980 में पेश की ।

(ख) रिपोर्ट में निम्नलिखित मुख्य सिफारिशे हैं :—

(1) प्रत्येक मछुआ विकास एजेन्सी में एक डिम्पोना फार्म का प्रावधान ।

(2) सम्पूर्ण देश में जल क्षेत्रों को पट्टे पर देने के लिये समान नीति अपनाना ।

(3) सभी राज्य सरकारों को मछुआ विकास एजेंसियों द्वारा व्यवस्था किये गये संस्थागत ऋणों की जिम्मेदारी लेना ।

(4) आदानों को खरीदने के लिये सहायता के विद्यमान स्तर (1250 रुपये प्रति हेक्टार) को बढाकर कम से कम 2000 रुपये प्रति हैक्टार करना ।

(5) डिम्पोना पर राजसहायता की विद्यमान दर (25 प्रतिशत) से बढाकर चालू परियोजनाओं पर दी जाने वाली राज सहायता के बराबर करना ।

(6) मछुआ प्रशिक्षणार्थियों की दिये जाने वाले दैनिक भत्ते में वृद्धि ।

(7) पकड़ी गई मछलियों के समुचित विपणन के लिये प्रत्येक मछुआ विकास एजसी में मत्स्य विपणन समितियों का संगठन ।

(8) मछुआ विकास एजसी की स्थापना की मूल लागत राज्य सरकारें वहन कर सकती हैं ।

(9) उन चुनींदा संभाव्य क्षमता वाले जिलों में नई मछुआ विकास एजेंसियों की स्थापना करना, जहां मछुआ विकास एजसियों ने तुलनात्मक रूप से बेहतर कार्य किया है ।

(ग) जलकृषि विकास योजना को संशोधित कर दिया गया है, जिसमें राष्ट्रीय व्यावहारिक अर्थ अनुसंधान परिषद् की अधिकांश सिफारिशों को शामिल कर लिया गया है । अन्तर्देशीय मात्स्यकी परियोजना से संबंधित विश्व बैंक परियोजना के अंतर्गत के क्षेत्रों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में मछुआ विकास एजसियों से संबंधित संशोधित योजना की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :—

(1) उन सभी मछुआ विकास एजेंसियों जिनके डिम्पोना फार्म नहीं है, के लिये डिम्पोना फार्म स्वीकृत किये गये हैं ताकि वे डिम्पोना से संबंधित अपनी मांग पूरी कर सके ।

(2) आदानों को खरीदने के लिये सहायता के विद्यमान स्तर (1250 रूपये प्रति हैक्टार) को बढाकर 2000 रूपये प्रति हैक्टार कर दिया गया है ।

(3) मछुआ प्रशिक्षणार्थियों को दिये जाने वाले दैनिक भत्ते को 5 रुपये प्रतिदिन से बढाकर के 9 रुपये प्रतिदिन कर दिया गया है ।

(4) सहायता के प्रतिमान में संशोधन कर दिया गया है । केन्द्रीय सहायता को केवल बढने वाले कर्मचारियों के व्यय तथा विकासात्मक खर्चे के एक भाग को पूरा करने के लिये सीमित किया गया है ।

(5) नई मछुआ विकास एजेसियां स्वीकृत की गई हैं ।

तिलहन उत्पादक सहकारी समितियों की स्थापना

145. **श्री कुम्भा राम आर्य :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तिलहन उत्पादक सहकारी समितियों की कितने और किन स्थानों पर स्थापना की जा चुकी है और उनके नाम क्या हैं ;

(ख) क्या तिलहन उत्पादक सहकारी समितियों की स्थापना के संबंध में कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है ;

(ग) यदि हां, तो क्या तदनुसार समितियों की स्थापना की जा रही है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) से (घ). कोई तिलहन उत्पादक सहकारी समितियां स्थापित नहीं की जा रही हैं । तथापि, तिलहन उत्पादक सहकारी समितियां मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र तथा उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में संगठित की जा रही है । ये सहकारी समितियां संबंधित राज्यों के सहकारी विभागों के अधिकारियों द्वारा पंजीकृत की जाती हैं ।

खाद्य तेल तथा तिलहन उत्पादन तथा विपणन पुनः संरचना; परियोजना के तहत जो राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही है, गुजरात में 971, तमिलनाडु में 54 तथा मध्य प्रदेश में 91 ग्राम स्तर की तिलहन उत्-